न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 13/2023(जी.सी.एम.एस.2023/356)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. गोविन्द लाल पुत्र भगवान दास जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. पृथ्वीराज पुत्र भगवान दास जाति कम्बोज निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः1.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रार्थी तारीख रजू 17.08.2023
2.श्री भगवान दास, श्री रामदयाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

—निर्णय— दिनांक : 23.07.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 113/49 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 12, 13, 14/1, 16 ता 19, 22 ता 25 की कुल 2.720 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार चक 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 114/49 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 1 ता 11, किला नम्बर 20, 21/2, मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 11/1, मुरब्बा नम्बर 48/2 कुल 3.413 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी को अपने पिता से जरिए वसीयत नामातरण प्राप्तशुदा भूमि है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी व उसके भाई से राजस्व अभिलेख में उनके पिता के स्वर्गवास के पश्चात बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी व उसका भाई अपने-अपने हिस्सा पर निर्बाध, निरंतर, शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी, अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11 में से होकर अपने रकबा किला नम्बर 12 में प्रवेश कर, अपनी समस्त भूमि को काश्त करता है। अप्रार्थी के किला नम्बर 11 में दो-दो बिस्वा भूमि का उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है और उक्त रास्ता के संबध में प्रार्थी ने किला नम्बर 12 में दो बिस्वा भूमि को अप्रार्थी को उपयोग व उपभोग करने के लिए छोडी हुई है। उक्त रास्ता आज भी चालू है। जिसके अनुसार उक्त रास्ता शुरू से ही मौका पर आज तक निरन्तर, निर्बाध व शान्तिपूर्वक चालू है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यतिंक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थी ने कई बार पंचायत के समक्ष अप्रार्थीगण से मांग की है और कहा कि दोनों पक्ष आपसी सहमति/बंटवारानामा दिनांक 20.08.2007 से उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर, राजस्व अभिलेख में अंकन करवा लेवे। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 114/49 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11 में 2 बिस्वा भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान दास उपस्थित आए। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.08.2007 का उक्त बंटवारानामा फर्जी, कूटरचित तैयार कर पेश किया हुआ है। अप्रार्थी के कब्जाकाश्त एंव राजस्व रिकॉर्ड के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21/2 की 0.0020 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 11 से चिपते मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 5 ता 25 में से स्वीकृत रास्ता के जरिए उक्त किला नम्बर 21/1 के गैरमुमकिन रास्ता से होते हुए शेष किला नम्बर 21 में अपने रकबा के किला नम्बर 22 में आ जा सकता है, जो कि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सबसे सुलभ एंव छोटा एंव पत्थर लाईन पर मौजूद रास्ता है। जिससे अप्रार्थी की भूमि के न तो दो टूकडे होगें और न ही प्रार्थी को अपने रकबा में आने-जाने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। अप्रार्थी आज भी प्रार्थी को रास्ता से चिपता किला नम्बर 21 प्रार्थी के किला नम्बर 12 के बदले देने को तैयार एंव तत्पर है, जिससे न तो राजस्व का नुकसान होगा एंव न ही कृषि भूमि रास्ता के रूप में बर्बाद होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी को तंग, परेशान करने के लिए पेश किया होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2023/1032 दिनांक 03.10.2023 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक मानकसर मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक मानकसर व पटवारी हल्का मानकसर द्वारा चक 53 जीजी के मुरब्बा नम्बर 11, 12 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 12 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11 की दक्षिणी वट के साथ-साथ 2 बिस्वा भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। परन्तु चक 53 जीजी के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 के साथ चिपता मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 25 में स्वीकृत रास्ता है, मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 के दक्षिण-पश्चिम कोना पर रिकॉर्ड अनुसार खाता नम्बर 1 में मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 21/1 की 0.0020 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है, जो कि मौका पर चालू है। शेष रास्ता मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 में से होते हुए किला नम्बर 22 तक प्रार्थी पहुच सकता है। इस रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु अप्रार्थी ने सहमति के हस्ताक्षर किए। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिंक है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य द्वितीय विकल्प मौजूद है, जिसे स्वीकृत करवाने हेतु अप्रार्थी सहमत है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 53 जीजी के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 12, 13, 14/1, 16 ता 19, 22 ता 25 के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 11 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 22 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 से वैकल्पिक रास्ता व्यावहारिक व सबसे सुलभ एंव छोटा एंव पत्थर लाईन पर मौजूद है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21 में से रास्ता देने बाबत सहमति प्रकट की है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी आशिंक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 114 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21/2 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.023 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी पृथ्वीराज पुत्र भगवान दास को मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 12 की उत्तरी दिशा में 0.023 हैक्टेयर भूमि देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं:- 01601226005
ईमेल sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2024/416 **दिनांक :- 23.07.2024**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 13/2023 अनवान गोविन्द लाल बनाम पृथ्वीराज आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 23.07.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वखूबी साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 53 जीजी, पटवार हल्का मानकसर, भू.अ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 114 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 21/2 की दक्षिणी वट के साथ-साथ 0.023 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी पृथ्वीराज पुत्र भगवान दास को मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 12 की उतरी दिशा में 0.023 हैक्टेयर भूमि देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर